



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241875
CG-DL-E-11012023-241875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]
No. 125]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

का.आ. 131(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), भारत सरकार एतद्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 04.10.2022 को प्रकाशित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.09.2022 की अधिसूचना का.आ.4683(अ) के अंग्रेजी भाग में यथा-अनुबद्ध संशोधन करती है।

मुम्बई—नागपुर—झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन											
अनुभाग – नागपुर – झारसुगुडा											
अनुसूची											
राज्य-छत्तीसगढ़											
जिला	तहसील	गाँव का नाम	के स्थान पर				गाँव का नाम	पढ़ा जाये			
			सर्वे नं	क्षेत्रफल				सर्वे नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5			6	7	8		
कोरबा	करतला	चिचोली	439	00	19	60	चिचोली	439	00	19	60
			440	00	19	60		440			

[फा. सं. एल-14014/ 28 /2022-जीपी-II (ई-41677)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th December, 2022

S.O. 131(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby makes the amendment as Annexed in English part of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. 4683 (E) dated 30.09.2022 published in the Extraordinary Gazette of India on 04.10.2022.

Mumbai - Nagpur - Jharsuguda Natural Gas pipeline											
Section - Nagpur - Jharsuguda											
SCHEDULE											
State: Chhattishgarh											
	Tehsil	Village	For				Village	Read			
District			Area					Area			
			Survey No.	Hectare	Are	Sq. M.		Survey No.	Hectare	Are	Sq. M.
1	2	3	4	5			6	7	8		
Korba	Kartala	Chicholi	439	00	19	60	Chicholi	439	00	19	60
			440	00	19	60		440			

[F. No. L-14014/28/2022-GP - II (E-41677)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

का.आ. 132(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), भारत सरकार एतद्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 04.10.2022 को प्रकाशित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.09.2022 की अधिसूचना का.आ. 4683(अ) के हिन्दी भाग में यथा-अनुबद्ध संशोधन करती है।

मुम्बई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन											
अनुभाग - नागपुर - झारसुगुडा											
अनुसूची											
राज्य-छत्तीसगढ़											
जिला	तहसील	के स्थान पर					पढ़ा जाये				
		गाँव का नाम	क्षेत्रफल				गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			सर्वे नं	हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5			6	7	8		
कोरबा	करतला	रीवापार	109/3	00	00	40	रीवापार	109/3	00	00	05
			109/2	00	06	03		109/2	00	06	38
			109/5					109/5			
					133/3	00		10	06		133/3

		133/4	00	00	60		133/4	00	00	06
		181/1	00	00	38		181/1	00	00	33
		917/1	00	03	20		917/1	00	02	70
		917/2	00	01	97		917/2	00	02	47
		932/1	00	06	44		932/1	00	09	16
		932/2	00	04	80		932/2	00	02	08
		998/1	00	00	80		998/1	00	00	08
		998/3	00	07	00		998/3	00	07	72
		1015/1	00	15	20		1015/1	00	14	11
		1015/3	00	00	01		1015/3	00	00	06
		1015/4	00	00	06		1015/4	00	01	10
		1075/1	00	00	61		1075/1	00	00	06
		1075/3	00	02	00		1075/3	00	02	55

[फा. सं. एल-14014/ 28 /2022-जीपी-II (ई-41677)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th December, 2022

S.O. 132(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby makes the amendment as Annexed in English part of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. 4683(E) dated 30.09.2022 published in the Extraordinary Gazette of India on 04.10.2022.

Mumbai - Nagpur - Jharsuguda Natural Gas pipeline											
Section - Nagpur - Jharsuguda											
SCHEDULE											
State: Chhattishgarh											
District	Tehsil	For					Read				
		Village	Area				Village	Area			
			Survey No.	Hectare	Are	Sq. M.		Survey No.	Hectare	Are	Sq. M.
1	2	3	4	5			6	7	8		
Korba	Kartala	Riwapar	109/3	00	00	40	Riwapar	109/3	00	00	05
			109/2	00	06	03		109/2	00	06	38
			109/5					109/5			
			133/3	00	10	06		133/3	00	10	60
			133/4	00	00	60		133/4	00	00	06
			181/1	00	00	38		181/1	00	00	33
			917/1	00	03	20		917/1	00	02	70

	917/2	00	01	97		917/2	00	02	47
	932/1	00	06	44		932/1	00	09	16
	932/2	00	04	80		932/2	00	02	08
	998/1	00	00	80		998/1	00	00	08
	998/3	00	07	00		998/3	00	07	72
	1015/1	00	15	20		1015/1	00	14	11
	1015/3	00	00	01		1015/3	00	00	06
	1015/4	00	00	06		1015/4	00	01	10
	1075/1	00	00	61		1075/1	00	00	06
	1075/3	00	02	00		1075/3	00	02	55

[F. No. L-14014/28/2022-GP - II (E-41677)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.